

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष: एम०के० सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1786-दो/10 विरुद्ध आदेश दिनांक 3-8-10 पारित
द्वारा आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल प्रकरण क्रमांक 82/निगरानी/2009-10.

- 1— भुवन मोहन पुत्र श्री भगवत् प्रसाद जायसवाल
- 2— श्रीमती रश्मी पत्नी श्री सुनील जायसवाल
निवासीगण शहडोल तहसील एवं
जिला शहडोल
- 3— मो. इदरीस पुत्र ख. इरमाईल
निवासी मकान नं. 3 लालता चौक सीधी

----- आवेदकगण

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन

----- अनावेदक

श्री एस. के. बाजपेई, अधिवक्ता, आवेदकगण |
श्री डी. के. शुक्ला, अधिवक्ता, अनावेदक |

:: आदेश ::

(आज दिनांक २७ जुलाई, 2014 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल के प्रकरण क्रमांक 82/निगरानी/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 3-8-10 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपर कलेक्टर, शहडोल के प्रकरण क्रमांक 83/निगरानी/93-94 में पारित आदेश दिनांक 31-8-94 के विरुद्ध श्रीमती शैल कटारे द्वारा निगरानी अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई, जिसमें आयुक्त द्वारा प्रकरण प्र०क० 71/निगरानी/03-04 पंजीबद्ध कर दिनांक 13-7-04 को यथास्थिति का आदेश पारित किया गया। इस आदेश के विरुद्ध श्रीमती कुमुखलता सिंह द्वारा राजस्व मंडल में

निगरानी क्रमांक 1173-एक/04 पेश की गई जिसमें राजस्व मंडल द्वारा दिनांक 3-7-09 को आदेश पारित करते हुए प्रकरण निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण का निराकरण करने तक प्रकरण में प्रश्नाधीन 74 एकड़ भूमि के किसी भी हिस्से के किसी भी अगले नामांतरण पर रोक लगाई जाती है।

राजस्व मंडल के आदेश के उपरांत श्रीमती शैल कटारे के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व मंडल के आदेश के अनुसार कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया गया। उक्त आवेदन पर से आयुक्त द्वारा प्रकरण में कार्यवाही प्रारंभ की गई एवं आलोच्य आदेश द्वारा उक्त प्रकरण में विवादित प्रश्नाधीन भूमि के अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर संहिता की धारा 32 के तहत अन्तनिर्हित शक्तियों के तहत 182 एकड़ भूमि (जिसमें आवेदकगण के स्वामित्व की भूमियां सर्वे क्रमांक 418/1, 418/2, 445, 447/1, 447/2 एवं 448, 432/3 एवं सर्वे क्रमांक 432/4 भी शामिल हैं) पर अरथाई रूप से म.प्र. शासन जंगल झुड़पी दर्ज करने के आदेश देते हुए प्रकरण अनावेदकों की तलबी हुए नियत किया गया है। आयुक्त के इस आदेश से व्यक्ति होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3— आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि आलोच्य आदेश आवेदकों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिए एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है तथा आवेदकों की भूमियों को भी संहिता की धारा 32 के तहत अरथाई रूप से म.प्र. शासन जंगल झुड़पी दर्ज करने का आदेश पारित किया है जो अवैधानिक होने से निरस्ती योग्य हैं क्योंकि आयुक्त द्वारा आलोच्य प्रकरण में ना तो उन्हें पक्षकार बनाया गया और ना ही कोई सूचना दी गई है।

यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकों की भूमियों के संबंध में आदेश पूर्व से प्रचलित अन्य व्यक्तियों के प्रकरण में जिसमें आवेदक पक्षकार नहीं रहे हैं में पारित किया गया है जबकि विधि का यह मान्य सिद्धांत है कि कोई भी कार्यवाही विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए ही की जाना चाहिए। आयुक्त द्वारा आवेदकों के विरुद्ध अन्य किसी प्रकरण में उन्हें पक्षकार बनाए बिना तथा सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि आवेदकों द्वारा क्य की गई भूमि जंगल के रूप में दर्ज नहीं थी बल्कि संहिता के

लागू होने के पूर्व से उस पर भूमिस्वामी का नाम दर्ज था। 70 वर्षों से चली आ रही प्रविष्टि को संहिता की धारा 32 के तहत निरस्त किया जाना अवैधानिक है। संहिता की धारा 32 का उपयोग तभी किया जा सकता है जब संहिता में अन्य कोई प्रावधान न हों।

यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि आवेदक एवं उनके पूर्वजों का विवादित भूमि पर काफी समय पूर्व से आधिपत्य है। संहिता के प्रभावशील होने के पूर्व तैयार किए गए अधिकार अभिलेख में प्रश्नाधीन भूमि पर अमरेश प्रतापसिंह का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज था, अमरेश प्रताप सिंह द्वारा भूमि चन्द्रोदय सिंह को विक्रय की गई। आवेदक क. 1 एवं 2 ने भूमि सर्वे नं. 418/1, 418/2, 445, 447/1, 447/2 एवं 448 पृथक-2 पंजीकृत विक्रयपत्रों द्वारा अभिलिखित भूमिस्वामी चन्द्रोदय सिंह से 19-20 वर्ष पूर्व क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया था। इसी प्रकार आवेदक क्रमांक 3 द्वारा भूमि सर्वे नं. 432 का भाग सर्वे नं. 432/3 अंश रकबा 7.00 एकड़ तथा सर्वे नं. 432/4 रकबा 6.24 एकड़ पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 12-11-09 द्वारा राधेकृष्ण पुत्र बिहारीलाल श्रीवास्तव एवं लीलादेवी पिता इकबाल बहादुर श्रीवास्तव से क्रय की गई है। उक्त व्यक्तियों द्वारा भूमि चन्द्रभूषणसिंह पुत्र चन्द्रोदय से क्रय की गई थी।

यह तर्क दिया गया है कि आयुक्त के समक्ष तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है उसमें उन्होंने ग्राम गोरतरा की भूमियों की जानकारी अधिकार अभिलेख एवं वर्तमान अभिलेख के अनुसार दी है। प्रतिवेदन में आवेदकों के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही किए जाने का उल्लेख नहीं किया गया है। यह भी कहा गया है कि आयुक्त ने अपने आदेश में तहसीलदार, सोहागपुर के प्रतिवेदन से संतुष्ट होने का उल्लेख करते हुए आवेदकों के स्वामित्व की भूमियों पर भी अस्थाई रूप से म.प्र. शासन जंगल झुड़पी दर्ज करने का जो आदेश दिया है। वह आवेदकों को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया गया है जो पूर्णतः अवैधानिक है। आयुक्त को आवेदकों के स्वामित्व की भूमियों को अस्थाई रूप से म०प्र० शासन के नाम दर्ज किये जाने के आदेश देने के पूर्व आवेदकों को कारण बताओ सूचनापत्र जारी करना चाहिए था एवं सुनवाई के उपरांत कानूनन निर्णय किया जाना चाहिए था जबकि इस प्रकरण में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य प्रकरण तथा कलेक्टर, शहडोल के प्रकरण क्रमांक 83/निगरानी/93-94 में पारित आदेश दिनांक 31-8-94 में

आवेदकगण पक्षकार नहीं थे और ना ही उन्हें पक्षकार बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य प्रकरण क्रमांक 82/निगरानी/2009-10 को जो पंजीयन किया गया है वह खूरा आत्मज बालकरण बेगा एवं अन्य के विरुद्ध है जबकि खूरा बेगा लंबे समय पूर्व मृत हो चुका है। ऐसी स्थिति में मृत व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर उसको सुनवाई में लेकर आदेश पारित करने में आयुक्त ने त्रुटि की है।

आवेदकों की ओर से यह तर्क भी दिया गया है कि स्वयं आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल ने इस तरह के मामलों को निरस्त किया जा चुका है। इस संबंध में उनके द्वारा आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल द्वारा प्र०क० 77/निगरानी/09-10 (अर्जुनदास बजाज वगरह बनाम म.प्र. शासन) में पारित आदेश दिनांक 6-1-11, प्र०क० 39 निगरानी/10-11 (छोटेलाल सरावगी बनाम म.प्र. शासन) में पारित आदेश दिनांक 11-1-11 एवं प्र०क० 163/स्व० निगरानी/09-10 में पारित आदेश दिनांक 21-8-12 की प्रतियां पेश की गई हैं।

आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी दिया गया है कि उनका संबंध केवल आवेदकगण के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमियां जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, से है। अधीनस्थ न्यायालय के सम्पूर्ण आदेश से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अंत में आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायदृष्टांत 1988 आर.एन. 187 उच्च न्यायालय, 1992 आर.एन. 156 खंडपीठ, 1998 एम.पी.वीकली नोट 26 उच्चतम न्यायालय, 1992 आर.एन. 26, 2012 आर.एन. 342, 2010 (3) जेएलजे 77 (उच्च न्यायालय पूर्णपीठ) का हवाला देते हुए निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है।

4— अनावेदक म.प्र. शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आयुक्त ने अभी अंतरिम आदेश पारित किया गया है, प्रकरण का अंतिम निराकरण अभी गुणदोष पर अधीनस्थ न्यायालय में होना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। उक्त आधार पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5— उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विवार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह प्रकरण अपर कलेक्टर, शहडोल द्वारा प्रकरण क्रमांक 83/निगरानी/93-94 में पारित आदेश दिनांक 31-8-94 से प्रारंभ हुआ है जिसमें विवाद ग्राम गोरतरा की विवादित आराजी सर्वे नं. 108 रकबा

से संबंधित है। उक्त आदेश के विरुद्ध श्रीमती शैल कटारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की गई जिसमें अपर आयुक्त ने दिनांक 13-7-04 को रथगन आदेश दिया गया, जिसके विरुद्ध प्रकरण राजस्व मंडल तक आया। राजस्व मंडल ने निगरानी प्रकरण क्रमांक 1173-एक/04 में दिनांक 3-7-09 को आदेश पारित करते हुए प्रकरण विधिवत निराकरण हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया था।

6— आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राजस्व मंडल से प्रकरण वापिस प्राप्त होने पर उनके द्वारा श्रीमती शैल कटारे द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत निगरानी प्रकरण में ही तहसीलदार से ग्राम गोरतरा की अन्य भूमियों के संबंध में जानकारी चाही गई, जबकि उक्त भूमियों का उक्त प्रकरण से कोई संबंध नहीं था। तहसीलदार द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आयुक्त द्वारा अन्य व्यक्तियों की भूमियों के साथ आवेदकों के स्वामित्व की प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में संहिता की धारा 32 के तहत अन्तर्निहित शक्तियों के तहत राजस्व रिकार्ड में अस्थाई रूप से म.प्र. शासन जंगल झुड़पी दर्ज करने का अंतरिम आदेश दिया गया है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उक्त आदेश अवैधानिक होकर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। विधि का यह मान्य सिद्धांत है कि कोई भी कार्यवाही विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए ही की जाना चाहिए। आयुक्त द्वारा आवेदकों के विरुद्ध अन्य किसी प्रकरण में उन्हें पक्षकार बनाए बिना तथा सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। न्यायदृष्टांत 2011 आर.एन. 0 273 में माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि — किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व हितबद्ध व्यक्ति को कोई सूचनापत्र जारी नहीं किया गया — नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया। संहिता की धारा 32 का उपयोग भी तभी किया जा सकता है जब संहिता में कोई प्रावधान न हों। प्रस्तुत प्रकरण में आयुक्त ने अपनी अंतर्निहित शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया गया है। इस संबंध में आवेदकों की ओर से उद्धरित न्याय दृष्टांत 1988 आर.एन. 187 उच्च न्यायालय पूरी तरह लागू होता है।

7— आयुक्त के अभिलेख में संलग्न तहसीलदार के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा जो जानकारी आयुक्त को प्रस्तुत की गई है उसमें उन्होंने केवल अधिकार अभिलेख एवं वर्तमान अभिलेख के अनुसार ग्राम गोरतरा की भूमियों पर जिन व्यक्तियों के नाम दर्ज थे उनकी जानकारी दी गई है। अन्य किसी प्रकार की विपरीत

टिप्पणी भूमिस्वामियों के विरुद्ध नहीं की गई है। अतः उक्त जानकारी के आधार पर आवेदकों को सुनवाई का अवसर दिए बिना तथा उन्हें पक्षकार बनाए बिना उनके स्वामित्व में दर्ज आराजियों को म.प्र. शासन दर्ज किया जाना त्रुटिपूर्ण है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमियां वर्ष 1959 से निजी व्यक्तियों के नाम भूमिस्वामी के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित चली आ रही हैं, जिन्हें आयुक्त द्वारा 50 वर्ष से अधिक अवधि के उपरांत अस्थाई रूप से म.प्र. शासन के नाम अंकित किया गया है, जो औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है। यदि पिछले 50 वर्षों से अधिक समय पूर्व से चली आ रही प्रविष्टि से शासन व्यथित था तो उसे सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जाना चाहिए थी, जो ना दी जाकर परोक्ष रूप से संहिता की धारा 32 का उपयोग करना वैध नहीं माना जा सकता और ना ही श्रीमती शैल कटारे द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में अन्य भूमियों के संबंध में किसी प्रकार का आदेश पारित करना उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात जहां तक आवेदकगण की भूमियों का प्रश्न है, यह पाया जाता है कि आयुक्त द्वारा पारित आदेश किसी भी दृष्टि से पुष्टि योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 3-8-10 जहां तक आवेदकगण के स्वामित्व की भूमियों का संबंध है, उस सीमा तक निरस्त किया जाता है। तहसीलदार को यह निर्देश दिए जाते हैं आयुक्त के आदेश के पालन में की गई प्रविष्टियां विलोपित कर आवेदकगण का नाम पूर्ववत् भूमिस्वामी के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज करें।



(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
गवालियर